एमएसएमई - एक नज़र

सत्यमेव जयते

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित एक संगठन)

http://msme.gov.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कलराज मिश्र
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

गिरिराज सिंह
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

एमएसएमई - एक नज़र

सत्यमेव जयते

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित एक संगठन)

http://msme.gov.in

उद्यमी हेल्पलाइन
1800 - 180 - 6763
1800 - 180 – एमएसएमई [टोल फ्री]

मई 2015
प्रतियाँ 1000

संकलक एवं प्रकाशक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

सत्यमेव जयते

"अक्सर कइयों का मानना होता है कि बड़ी कंपनियों का ही प्रभुत्व रहता है। लेकिन वास्तव में, आपके जैसी छोटी 5.5 करोड़ से अधिक (55 मिलियन) इकाइयाँ हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार और सेवा व्यवसायों... के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही हैं।"

"आपको अपना व्यवसाय आसानी से चलाने के लिए सक्षम होना चाहिए, न कि अधिकारियों का अत्याचार सहने का आदी होना चाहिए और अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए अपने उत्पादों के लिए बाज़ार का प्रबंध करने के लिए ऋण लेने में सक्षम बनना चाहिए।"... ..

प्रधानमंत्री, भारत

नरेंद्र मोदी

विषय सूची

एमएसएमई मंत्रालय का अवलोकन	1
मंत्रालय के बारे में	2
संगठनात्मक प्रारूप	3
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (एनबी एमएसएमई)	7
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास ((एमएसएमईडी)) अधिनियम 2006	7
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा	8
मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख नियोजनात्मक योजनाएं	9
एमएसएमई क्षेत्र के लिए योजनाएं	10
खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए योजनाएं	24
कॉयर क्षेत्र के लिए योजनाएं	27
मंत्रालय की हाल की पहल	30
नई खोज और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना : एस्पायर	30
पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की पुर्नोत्थान योजना: स्फूर्ति	31
पीएमईजीपी के तहत नई पहल	31
कॉयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) और कॉयर विकास योजना (सीवीवाई) का पुर्नोत्थान	32
तकनीकी केंद्र सिस्टम कार्यक्रम	33
एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन	33
उद्यमिता ज्ञापन दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल	34
एमएसएमई मंत्रालय में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ) केवीआईसी और कॉयर बोर्ड	35
जिला उद्योग प्रोफ़ाइल	35
कौशल मानचित्रण	36
डिजिटल पहल	36
संपर्क विवरण	39

एमएसएमई मंत्रालय का अवलोकन

पिछले पांच दशकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। एमएसएमई, न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं और इस तरह क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और धन के अधिक समान वितरण का आश्वासन भी देते हैं। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी इस क्षेत्र का काफी योगदान है।

36 मिलियन इकाइयों वाला यह क्षेत्र आज 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 6,000 से अधिक उत्पादों के माध्यम से क्षेत्र कुल विनिर्माण में 45% के अलावा सकल घरेलू उत्पाद में 8% और देश से निर्यात में 40% का योगदान है। एमएसएमई क्षेत्र देश भर में औद्योगिक विकास का प्रसार करने की क्षमता रखता है और समावेशी विकास की प्रक्रिया में प्रमुख भागीदार बन सकता है।

खादी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गौरवपूर्ण विरासत है। खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) भारत के दो राष्ट्रीय धरोहर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में केवीआई की सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बहुत कम प्रति व्यक्ति निवेश से रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्र के लिए

तैयार वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि ग्रामीण दस्तकारों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है। केवीआई आज एक विशिष्ट, विरासत संबंधी उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो ' निश्चित ' होने के साथ-साथ 'नैतिक' भी है। इस क्षेत्र के लिए समाज के मध्यम और उच्च वर्ग के बीच संभावित मजबूत ग्राहक वर्ग है ।

कॉयर (नारियल जटा) उद्योग एक कृषि आधारित पारंपरिक उद्योग है, जिसका उद्भव केरल राज्य में हुआ और धीरे-धीरे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, आदि अन्य नारियल उत्पादक राज्यों में फल फूल गया है। यह एक निर्यात उन्मुख उद्योग है और तकनीकी उपायों और जियो-टेक्सटाइल्स आदि जैसे विविध मूल्य संवर्धन उत्पादों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने की क्षमता रखता है। कॉयर उत्पादों की 'पर्यावरण अनुकूल' छवि की वजह से उनकी स्वीकार्यता में तेजी से वृद्धि हुई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम /ओ एमएसएमई) खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देते हुए संबंधित मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग के साथ मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करने और नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है।

मंत्रालय के बारे में

9 मई 2007 को भारत सरकार द्वारा (कार्य आबंटन) नियम, 1961, के संशोधन के बाद पूर्व लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम /ओ एमएसएमई) का गठन किया गया । अब यह मंत्रालय नीतियों को डिजाइन करता है और कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं को प्रोत्साहित करता है / संबंधित सुविधाओं को बढ़ावा देता है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की मदद करने और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखता है

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और उनके विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । हालांकि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को मजबूती प्रदान करती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और उसके संगठनों की भूमिका राज्यों को उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों की ओर प्रोत्साहित करना और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए उनके प्रयासों में सहायता करना है । मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा शुरू की गई योजनाओं / कार्यक्रमों के प्रबंध / सुविधा इस प्रकार है :

(1) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से ऋण का पर्याप्त प्रवाह;

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए समर्थन;

(3) एकीकृत ढांचागत सुविधाएं;

(4) आधुनिक परीक्षण सुविधाएं और गुणवत्ता प्रमाणन;

(5) आधुनिक प्रबंधन तरीकों का उपयोग;

(6) उचित प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमिता का विकास एवं कौशल उन्नयन ;

(7) उत्पाद विकास, डिजाइन में हस्तक्षेप एवं पैकेजिंग के लिए समर्थन;

(8) कारीगरों और श्रमिकों का कल्याण ;

(9) घरेलू और निर्यात बाजार के बेहतर उपयोग के लिए सहायता; और

(10) इकाइयों और उनके सामुदायों की क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर वार उपाय।

संगठनात्मक प्रारूप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के क्रियान्वयन मंत्रालय के निम्नलिखित संगठनों के माध्यम से किए जाते हैं।

विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

देश में लघु उद्योगों के विकास एवं नीतियों के कार्यान्वयन की के रुपांकन एवं निगरानी के लिए विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) की अध्यक्षता में शीर्ष निकाय के रूप में

विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम) का गठन किया गया है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। यह एमएसएमई-विकास संस्थान, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, जूतों को बनाने का प्रशिक्षण संस्थान, निर्माण केन्द्र, फील्ड परीक्षण स्टेशनों और विशेष संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस तरह के संवर्धन और लघु उद्योगों के विकास के लिए नीति तैयार करने में सरकार को सलाह देने; तकनीकी - आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, आम सुविधाओं और विस्तार; एमएसएमई इकाइयों के लिए आम सेवाएं; प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सुविधाएं प्रदान करने, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और संरचना; प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधनों के विकास आदि कार्य करता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

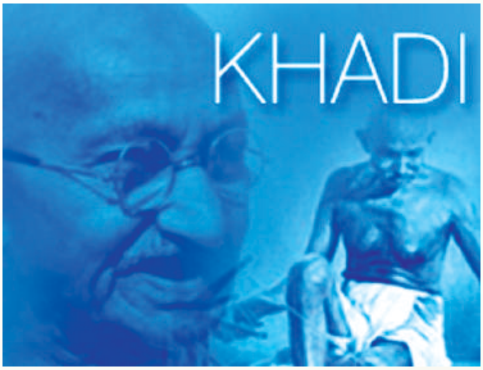

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956, के तहत स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला एक वैधानिक संस्था है। केवीआईसी को विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कम प्रति व्यक्ति निवेश में सतत ग्रामीण गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में पहचान की गई है। यह रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण आबादी की शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन की भी जाँच में मदद करता है ।

ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआईआरआई)

संस्थान (पंजीकरण) अधिनियम, 1860, के तहत केवीआई क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को मजबूत बंनाने के लिए "ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआई आरआई)" (तत्कालीन जमनालाल बजाज सेंट्रल रीसर्च संस्थान) नामक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना वर्धा, महाराष्ट्र में की गई है। संस्थान के मुख्य कार्य प्रोत्साहनात्मक शोध, अनुसंधान एवं विकास का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी संबंधित जानकारी का प्रसार करना है।

कॉयर बोर्ड

कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित कॉयर बोर्ड, एक सांविधिक निकाय है, जो समग्र कॉयर उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देने और इस पारंपरिक उद्योग में व्यस्त श्रमिकों के रहन सहन में सुधार लाने के इरादे से स्थापित किया गया है । कॉयर उद्योगों के विकास संबंधी बोर्ड की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ उपक्रम में वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधि; नए उत्पादों एवं डिजाइन का विकास और भारत एवं विदेश में कॉयर और कॉयर उत्पादों का विपणन शामिल है। बोर्ड उत्पादकों और निर्माताओं को भूसी, कॉयर फाइबर, कॉयर की रस्सी और कॉयर उत्पादों के निर्माताओं आदि के बीच लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करते हुए सहकारी संस्थानों को भी बढ़ावा देता है। बोर्ड द्वारा सेंट्रल कॉयर रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीसीआरआई), कलवूर, कन्नूर, केरल और सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉयर टेक्नोलॉजी (सीआईसीटी), बेंगलुरू नामक दो अनुसंधान संस्थानों को कॉयर उद्योग, जो देश में प्रमुख कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों में से एक है, के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए बढ़ावा दे रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा 1955 में देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, मदद करने और उनके विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश से स्थापित किया गया था। एनएसआईसी औद्योगिक विकास के मामले में देश में एमएसएमई को मदद करने के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं को जारी रखने के उद्देश से लगातार सबसे आगे रहा। निगम का मुख्य कार्य, आम तौर पर एक वाणिज्यिक आधार पर देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना, उनकी सहायता करना और बढ़ावा देना है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए उनके विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल की खरीद; उत्पाद विपणन; क्रेडिट रेटिंग; प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण; आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को स्वीकार करने आदि विभिन्न समर्थन सेवाएं प्रदान करता है। एनएसआईसी देश भर में सभी स्तरों पर समर्पित पेशेवरों की टीम से 142 कार्यालयों और जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में स्थित एक कार्यालय के माध्यम से संचालित होता है।

राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा देने, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को नए उद्यमों के निर्माण के लिए उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण ही सबसे महत्वपूर्ण कुँजी है। पहली पीढ़ी के उद्यमियों में नियमित आधार पर उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्वायत्त निकायों को उद्यमिता

संस्थानों के रूप में गठन किया है; वे है - नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरप्रेन्यूरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (एनआईईएसबीयूडी) (1983)। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) (1960), और गुवाहाटी स्थित भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) (1993)। इन संस्थानों को प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सेवायें और परामर्श सेवाएं प्रदान करने, उद्यमिता विकास एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, और उनके प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि लाने का कार्य सौपा गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (एनबी एमएसएमई)

एमएसएमई में विकास के काम की सीमा के अनेक विभाग/ मंत्रालय और केन्द्र / राज्य सरकारों के विभिन्न संगठन शामिल है । समन्वय और अंतर-संस्थागत संपर्क और एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम के लिए 20 गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर कुल 47 सदस्यों के एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है। यह सरकार को एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर सलाह प्रदान करने के लिए गठित एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्री इस बोर्ड के प्रभारी अध्यक्ष है। उनके साथ बोर्ड में राज्य उद्योग मंत्री, कुछ संसद सदस्य, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उद्योग संघ और क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल है। नीतिगत मामलों से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने के लिए समय-समय पर बोर्ड की बैठके होंगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 में अधिसूचित किया गया था इसका मक्सद एमएसएमई को प्रभावित करने नीतिगत मुद्दों के साथ ही क्षेत्र के कवरेज और निवेश संबंधी सीमा को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझाना था। अधिनियम इन उद्यमों के विकास की सुविधा के लिए उनकी

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना चाहता है । यह "उद्यम" नामक संकल्प, जिसमें विनिर्माण और सेवा संस्थाएं, दोनों शामिल हैं, को मान्यता देने के लिए पहली बार कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है और इन उद्यमों के तीन स्तरों अर्थात्, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम को एकीकृत करना चाहता है। विशेष रूप से सभी वर्गों के हितधारकों का संतुलित प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यत: तीन उद्यम और सलाहकार कार्यों की विस्तृत श्रृंखला ।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके संयंत्र एवं मशीनरी और उद्यमों के लिए उपकरणों के आधार पर अपने निवेश (निर्माण उद्यम) परिभाषित करता हैं। **उद्यमों के लिए निवेश पर मौजूद सीमा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है :**

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम *	सेवा उद्यम **
सूक्ष्म	रु. 2.5 मिलियन / रु. 25 लाख	रु. 1 मिलियन / रु. 10लाख
लघु	रु. 50 मिलियन / रु. 5 करोड़	रु. 20 मिलियन / रु. 2 करोड़
मध्यम	रु. 100 मिलियन / रु. 10 करोड़	रु. 50 मिलियन / रु. 5 करोड़

* संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा

** उपकरण में निवेश की सीमा

केवीआईसी में अधिनियम, 1956 में संशोधन के अनुसार "ग्रामोद्योग" शब्द नए सिरे से इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "एक ग्रामीण इलाके में स्थित किसी भी उद्योग के किसी भी माल के उत्पादन या किसी भी सेवा प्रदान करने में बिजली के उपयोग के साथ या उसके बिना और जिसमें प्रति कारीगर या कार्यकर्ता पर निवेश एक लाख रुपये से अधिक न हो (पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ग्रामीण उद्योगों के लिए एक लाख पचास हज़ार) या इस तरह के मामले के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख नियोजनात्मक योजनाएं

एमएसएमई क्षेत्र के लिए योजनाएं

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी)

कार्यक्रम का उद्देश सुधार द्वारा भारतीय एमएसएमई, उनकी प्रक्रियाओं, डिजाइन, प्रौद्योगिकी और बाजार पहुंच में वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकसित करना है। कार्यक्रम पर्याप्त निवेश की परिकल्पना करता है और एमएसएमई क्षेत्र की पूरे श्रृंखला के मूल्य बढ़ाने की दिशा में पर्याप्त निवेश की परिकल्पना करता है। एनएमसीपी के सभी दस घटक पहले से ही लागू किया गया है और नवाचार को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई क्षेत्र में विकास की संभावना है । इन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों में गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण, डिजाइन क्लीनिक स्कीम, आईपीआर पर जागरूकता निर्माण, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास, विपणन के लिए सहायता, नए मिनी टूल रूम और बर्बादी के बिना स्थापना शामिल है, एमएसएमई को समर्थन / सहायता, प्रतिस्पर्धा योजना का विनिर्माण। ऐसे घटक एमएसएमई क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की तलाश और एमएसएमई क्षेत्र में सबसे अच्छे तत्वों का परिचय, जो अक्सर इस तरह के व्यवहार और प्रौद्योगिकी का वहन करने में असमर्थ रहा है।

एमएसएमई के लिए लीन (बर्बादी के बिना) विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना [एनएमसीपी योजना]

लीन विनिर्माण कार्यक्रम (एलएमपी) के तहत एमएसएमई को उचित कार्मिक प्रबंधन, जगह का बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक सूची प्रबंधन, सुधार प्रक्रिया, कम अभियांत्रिकी समय के माध्यम से अपने निर्माण लागत को कम करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है । एलएमपी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाकर लागत काम करता है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है ।

एलएमपी के अधीन तय की गयी व्यापक गतिविधियों में शामिल है कुल उत्पादक रखरखाव (टीपीएम), 5एस, दृश्य नियंत्रण, मानक संचालन प्रक्रियाएं, जस्ट इन टाइम, कंबन प्रणाली, सेलुलर लेआउट, पोका योक, टीपीएम, आदि। प्रारंभिक तौर पर स्कीम शुरू में प्रायोगिक आधार पर 100 मिनी समूहों के लिए अनुमोदित की गई।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, लीन तकनीक हस्तक्षेप के लिए 128 नए समूहों की पहचान की गई है, 293 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लघु समूहों में 156 नए एसपीवी के गठन किये गये है। प्रगति की समीक्षा, समूहों के चयन, एनएमआईयु के पैनल में लीन विनिर्माण सलाहकारों को शामिल करना, इकाई स्तर पर लीन हस्तक्षेपों के लिए एसपीवी में लीन विनिर्माण सलाहकारों की नियुक्ति के लिए 3 एसएससी बैठकों के आयोजन किये। कोलकाता और मुंबई में दो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। लीन विनिर्माण हस्तक्षेपों के लिए लघु समूहों में 82 लीन विनिर्माण सलाहकारों को चुना गया। 1306 इकाइयों में, लीन विनिर्माण हस्तक्षेप की पहल की गई।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है।:

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
15.00	14.64	12.00

एमएसएमई क्षेत्र में सूचना एवं संचार उपकरण (आईसीटी) का संवर्धन [एनएमसीपी स्कीम]

योजना के मुख्य उद्देश्य संभावित एमएसएमई समूहों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के इरादे से उनके उत्पादन और व्यापार प्रक्रियाओं में आईसीटी उपकरणों और अनुप्रयोगों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और सहायता करना है ।इस घटक के तहत बनाई गयी व्यापक गतिविधियों की पहचान में शामिल आईसीटी हस्तक्षेप के लिए संभावित एमएसएमई समूहों का निर्माण, ई-तत्परता केन्द्र की स्थापना, समूहों के लिए वेब पोर्टल विकसित करना, एमएसएमई कर्मचारियों / कार्यकर्ताओं के कौशल विकास, उनकी प्रतिस्पर्धा आदि बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए स्थानीय सॉफ्टवेयर समाधान की तैयारी और एमएसएमई वैश्विक बाजारों में एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल पर एमएसएमई पोर्टल के नेटवर्किंग समूहों को

बनाना है । इस योजना को 100 समूहों में लागू किया जा रहा है । योजना को लागू करने के लिए एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया को तेज की जा रही है ।

प्रत्यक्ष निष्पादन :

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
18.00	0.70	5.50

प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन समर्थन के लिए एमएसएमई [एनएमसीपी स्कीम]

एमसीपी के इस घटक का उद्देश्य ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में एमएसएमई को जागरूक करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणीकरण द्वारा उत्पादों की स्वीकृति में सुधार, और इस प्रकार उनको विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनाना है । इस घटक के तहत बनाई गयी योजनाओं के प्रमुख गतिविधियों में शामिल है एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता / स्वच्छ विकास में हस्तक्षेप, एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता निर्माण प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन, कार्बन क्रेडिट एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना और राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय निकायों से उत्पाद प्रमाणीकरण लइसेंसों को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना ।

भौतिक परफार्मेंस :

2014-15 के दौरान, उत्पाद प्रमाणन प्रतिपूर्ति की संख्या 152 है । 89 जागरूकता कार्यक्रम और 6 एसएससी अनुमोदित 56 नयी ईईटी मामलों के आयोजन किये गये और इनके लिए कुल 4.21 करोड़ रुपयों की प्रतिपूर्ति की गयी ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
20.50	2.85	10.00

उत्प्रेरकों के माध्यम से [एनएमसीपी स्कीम] एसएमई के उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास के लिए समर्थन प्रत्यक्ष निष्पादन :

इस घटक का उद्देश अधुनातन व्यापार विचार (नए / स्वदेशी प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया, उत्पाद, कार्यशैली आदि), जिसका वाणिज्यीकरण एक साल में हो सकता है। इस घटक के तहत इंजीनियरिंग कालेजों, प्रबंधन संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, आदि जैसे विभिन्न संस्थानों को प्रत्येक नए विचार /उद्यमियों के कार्य निर्वहन के लिए 6.25 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जायेगी। उत्प्रेरक अन्य एजेंसियों को व्यापार शुरू करने और उद्यम स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी / मार्गदर्शन, कार्यशाला, प्रयोगशाला समर्थन और कड़ी प्रदान करते हुए उद्यमियों का मार्गदर्शन भी करेंगे।

भौतिक परफार्मेंस :

योजना मांग आधारित है। वर्ष 2014-15 के दौरान, 35 मेजबान संस्थानों को मंजूरी दी गयी है और 551 नए नवीन विचारों को मंजूरी दी गई है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
10.50	1.87	3.00

एमएसएमई के लिए डिजाइन क्लीनिक स्कीम [एनएमसीपी स्कीम]

इस घटक का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता को एक साझे मंच पर लाना और मौजूदा उत्पादों के लिए वास्तविक डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह और समाधान प्रदान करने के परिणामस्वरूप निरंतर सुधार और मूल्य संवर्धन। इसका उद्देश मूल्य वर्धित लागत प्रभावी समाधान भी है। इस योजना के तहत गतिविधियों में सेमिनारों, एमएसएमई इकाइयों के डिजाइन परियोजनाओं सहित एमएसएमई समूहों में कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, 3 पीएमएसी बैठकों का आयोजन किया गया और 100 डिजाइन

प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गयी है । चार जागरूकता सेमिनारों का आयोजन किया गया और 1 एसएफसी बैठक का भी आयोजन किया गया.

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
14.00	9.60	10.00

गुणवत्ता प्रबंधन मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण (क्यूटीटी) [एनएमसीपी स्कीम] के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना

इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना और इस क्षेत्र के उद्यमों में गुणवत्ता चेतना जगाना है। प्रमुख गतिविधियों है (1) तकनीकी संस्थानों के लिए उपयुक्त मॉड्यूल का प्रवेश ; (2) एमएसई के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन; (3) प्रतियोगिता-पर नजर रखने का आयोजन (सी-वाच); (4) चयनित एमएसएमई में गुणवत्ता प्रबंधन मानकों और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरणों ; (5) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशनों पर नजर रखना ; और (6) क्यूएमएस/ क्यूटीटी कैद उपयोग पर प्रभाव अध्ययन।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, एक मैक बैठक का आयोजन किया गया । 102 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया । एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला दिल्ली में आयोजित की गई और 4 दो दिवसीय कार्यशालाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आयोजित की गई ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
10.00	1.43	10.00

आईएसओ 9000/14001 / एचएसीसीपी प्रतिपूर्ति योजना [एनएमसीपी स्कीम]

एमएसई यों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ने एमएसई यों के तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम पेश की गई। एमएसई द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), आईएसओ 9000 / एचएसीसीपी प्रमाणीकरण और / या एमएसई द्वारा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आईएसओ 14001प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए इस योजना में 75% फीस की प्रतिपूर्ति की जाती हैं, बशर्ते की राशि रुपये 75,000 की अधिक राशि नहीं होनी चाहिए। उद्यमी ज्ञापन (ईएम) नंबर प्राप्त सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम इस प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के हकदार है और योजना के तहत केवल आईएसओ-9000/14001 / एचएसीसीपी प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद ही इकाइयों को प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार रहेगा।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान 861 इकाई लाभान्वित हुए ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
12.00	5.09	10.00

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) [एनएमसीपी स्कीम] के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता पैदा करना

एनएमसीपी के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता बनाने के घटक के तहत भारतीय लघु उद्योगों को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने और अधुनातन परियोजनाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के उपकरणों को प्रभावी रूप से उपयोग करने में उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (1) बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता / संवेदीकरण कार्यक्रम; (2) चयनित समूहों के लिए प्रायोगिक अध्ययन / औद्योगिक समूह; (3) इंटरएक्टिव सेमिनारों / कार्यशालाओं; (4) विशेष प्रशिक्षण; (5) पेटेंट / जीआई पंजीकरण पर अनुदान के लिए सहायता; (6) आईपी सुविधा केंद्र

(आईपीएफसी) की स्थापना; और (7) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ परस्पर संवाद । इन पहलों को एक सार्वजनिक-निजी पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर अमल में लाया जा रहा हैं।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, 16 जागरूकता कार्यक्रमों और 5 सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और एक घरेलू पेटेंट की भी प्रतिपूर्ति की गयी ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
3.00	0.83	3.00

एमएसएमई [एनएमसीपी स्कीम] के लिए विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

इस घटक का उद्देश्य एमएसएमई के उत्पादन गुणवत्ता और निर्यात क्षमता युक्त समूहों को पहचान कर पैकेजिंग, कौशल उन्नयन /आधुनिक विपणन तकनीक के विकास, प्रतियोगिता के अध्ययन, स्थानीय प्रदर्शनी / मेलों में भागीदारी, विपणन केन्द्रों की स्थापना आदि में प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करना है।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान 713 इकाइयाँ लाभान्वित हुई और 70 मेलों के आयोजन किया गया ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
5.00	0.32	15.00

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना:

इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग इकाइयों, विशेष रूप से छोटे इकाइयों के लिए बिना किसी जमानत/तीसरे पार्टी की गारंटी से रु. 100 लाख तक का उपलब्ध कराना है। इस योजना में मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अनुयोज्य देनदार इकाई के प्रति यूनिट के उधार के लिए रु. 100 लाख तक मुक्त कोलैटरल ऋण सुविधा (सावधि ऋण और / या कार्यशील पूंजी) उपलब्ध है । 50 लाख रुपये तक के लिए गारंटी ऋण सुविधा की 75% है और 50 लाख रुपये से अधिक और 100 लाख तक 50% की वृद्धिशील गारंटी के साथ प्रदान प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन भारत सरकार और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा संचालित किया जा रहा है। सीजीटीएमएसई निधि में भारत सरकार और सिडबी का योगदान 1 : 4 अनुपात में होगा।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान 4,03,422 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
74.99	74.99	1093.45

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)

सीएलसीएसएस योजना का लक्ष्य छोटे, कृषि और औद्योगिक ग्रामीण इकाइयों सहित, लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी के नवीकरण की सुविधा के लिए उनके द्वारा उठाये गए ऋण की 15 प्रतिशत फीसदी अग्रिम संस्थागत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना के निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी के तहत स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी की संशोधित योजना को मंजूरी देना और योजना द्वारा अनुमोदित अच्छी तरह स्थापित एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों / उत्पादों में संयंत्र की खरीद मूल्य के संदर्भ में गणना की है संयंत्र और मशीनरी के खरीद मूल्य के संदर्भ में पूंजी की गणना के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा रु. 40 लाख से रु. 100 लाख तक बढ़ा दी गयी है। सीएलसीएसएस दिशा निर्देशों में संशोधन के आगे लघु उद्योगों की आधुनिकीकरण की सुविधा होगी।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान 7,246 इकाई लाभान्वित हुए।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
387.75	387.75	300.00

एमएसई समूह विकास कार्यक्रम

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई - सीडीपी) को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समेकित विकास के लिए समग्र रूप से लागू किया गया है। इस योजना के तहत नए / मौजूदा औद्योगिक सम्पदा में छोटे हस्तक्षेप, यानी नैदानिक अध्ययन, बड़े हस्तक्षेप, यानी सीएफसी की स्थापना एवं संरचना विकास अध्ययन की परिकल्पना की गई है।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, 5 आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना की गयी है, 9 संरचना विकास पूरे किये गए और 236 इकाइयों की स्थापना की गयी है ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
93.00	63.58	100.00

निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम

इस योजना को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश एमएसई यों की योग्यता और कमजोरियों पर एक विश्वसनीय तीसरे पक्ष की राय प्रदान करना है ताकि उनको उनके मौजूदा ताकतों और कमजोरियों के बारें में पता चलें।

भौतिक परफार्मेंस :

इस योजना के तहत, वर्ष 2014-15 के दौरान 23,048 इकाइयों को दर्ज किया गया है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
90.00*	88.00	28.00

* संशोधित अनुमान

विपणन सहायता योजना

इस योजना को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड के द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना के मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विपणन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है; उनके लिए व्यक्तिगत / संस्थागत खरीदारों के साथ बातचीत का मंच प्रदान करना; उन्हें प्रचलित बाजार परिदृश्य से अद्यतन करना और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रारूप प्रदान करना है। योजना के तहत एमएसएमई को नए बाजार के अवसरों पर कब्जा करने / विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता मिलाप, गहन-अभियानों और अन्य विपणन घटनाओं में भाग लेने के लिए समर्थन मिलता है।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, 20 अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और 117 घरेलू कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है / में भाग लिया गया है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अन्य गतिविधियों अर्थात क्रेता-विक्रेता मिलाप, सह-प्रायोजन, विपणन अभियान, आदि किया गया है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
14.00	11.68	14.00

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना

योजना के तहत प्रमुख उद्देश्य है, प्रौद्योगिकी अर्क, भारतीय सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उन्नयन, आधुनिकीकरण और उनके निर्यातों को प्रोत्साहित करना है। (क) अन्य देशों को एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की प्रतिनियुक्ति कर प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों की खोज संचार / उन्नयन, संयुक्त उद्यमों की सुविधा एमएसएमई के बाजार में सुधार उत्पादों, विदेशी सहयोग आदि; के अवसरों की पहचान करना (ख) देश - विदेश में ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता मिलापों में शामिल होना, जहाँ अंतरराष्ट्रीय भागीदारी हो; (सी) एमएसएमई से संबंधित विषयों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों को आयोजित करना। आईसी योजना में उद्यमियों को विमान भाड़ा और जगह का किराया का भुगतान किया जाता है। राज्य / केन्द्र सरकारी संगठनों, उद्योग / उद्यम संघों और पंजीकृत सोसायटी /ट्रस्ट और संगठन आवेदन के पात्र हैं।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान, 43 घटनाओं और 603 उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
5.00	3.94	4.00

उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता योजना

योजना द्वारा नए संस्थानों की स्थापना, मौजूदा ईडीआई की संरचना को मजबूत बनाने और उद्यमिता एवं कौशल विकास गतिविधियों के समर्थन के लिए सहायता हेतु वित्तीय परिकल्पना की गई है। इन प्रशिक्षण संस्थानों को निर्माण / सुदृढ़ीकरण उद्यमिता विकास के संचालन के लिए और कार्यक्रम का समर्थन और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए पूंजी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना की जाती है। बुनियादी ढांचे को कर नवीकृत करने या उसी के सुदृढ़ीकरण संबंधी निर्माण के लिए अधिकतम सहायता राशि मिलान के आधार पर 150 लाख ही होगा, पर वह परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं होगा। हालांकि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (सिक्किम सहित) अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के लिए अधिकतम राशि 270 लाख रुपए या परियोजना लागत का 90%, जो भी काम हो। कोई भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार, प्रशिक्षण संस्थान, गैर सरकारी संगठन और अन्य विकास एजेंसी निर्माण या बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के इच्छुक प्रशिक्षण संस्थानों को योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपना पंजीकरण करने के लिए मंत्रालय के तीन राष्ट्रीय स्तर के ईडीआई में से किसी से भी (एनआईईएसबीयूडी, नोएडा; आईआईई गुवाहाटी और एनआईएमएसएमई, हैदराबाद) जुड़ना चाहिए। उद्यमिता विकास और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षु को प्रति घंटे अधिकतम सहायता50 रुपये है (एनईआर अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के लिए रु. 60)।

भौतिक परफार्मेंस :

वर्ष 2014-15 के दौरान 4611 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 131,308 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
87.00*	86.25	80.00

* संशोधित अनुमान

सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान

इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य है (1) एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं पर नियमित रूप से / समय-समय पर सम्बंधित और विश्वसनीय आंकड़ों का संचय करना होगा; (2) प्रयोगसिद्ध डाटा के आधार पर विश्लेषण,अन्यथा एमएसएमई की बाधाओं और चुनौतियों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध अवसरों, और; इन सर्वेक्षणों और विश्लेषणात्मक अध्ययनों के परिणामों का प्रयोग करने के लिए नीति अनुसंधान और डिजाइन के लिए उचित रणनीति और सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपाय के लिए उपयोग; और (3) इन सर्वेक्षणों और विश्लेषणात्मक अध्ययनों के परिणामों का प्रयोग करने के लिए नीति अनुसंधान और डिजाइन के लिए उचित रणनीति और विभिन्न योजनाओं के मूल्याकन अध्ययन सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपाय के लिए उपयोग । मंत्रालय द्वारा लागू एमएसएमई क्षेत्र पर विभिन्न अध्ययन, एवं मूल्यांकन पर कई अध्ययनों को इस योजना के तहत कार्यान्वित कर पूरा किया गया है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
1.00*	0.54	2.28

* संशोधति अनुमान

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए योजनाएं

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी के माध्यम से डीआईसी और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित मंत्रालय का एक क्रेडिट आधारित सब्सिडी योजना है, जो नए स्वरोजगार उपक्रमों / परियोजनाओं / लघु उद्यमों की स्थापना के लिए देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। अन्य उद्देश्य व्यापक रूप में फैले परंपरागत कारीगरों / ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को जहाँ तक हो सके एक साथ लाकर उनके जगह पर ही स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न, शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण युवाओं के पलायन को रोक सकें। 18 से ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इस कार्यक्रम के अधीन सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से मंजूर की गयी नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये लागत वाले सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है (विशेष श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत), जबकी शहरी क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत) है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
1108.06	1087.08	1050

2014-15 के दौरान पीएमईजीपी की प्रत्यक्ष उपलब्धियाँ :

रुपये करोड में

वर्ष	जारी किया गया एम.एम. सब्सिडी (करोड़ रुपए)	उपयोग किया एम.एम. सब्सिडी # (करोड़ रुपए)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित रोज़गार उत्पन्न
2014-15 (अनंतिम)	1087.08*	1012.12	53,463	3,19,976

* वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अर्जित 24.32 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है।
# चूँकि मार्जिन धन का उपयोग 30.04.2015 तक बढ़ाया गया 29.04.2015 तक के अनंतिम आंकड़े

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की स्कीम (स्फूर्ति)

पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धीत्मक बनाने के लिए और उनके सतत विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए एक कोष की घोषणा की गयी है ।

सरकार का उद्देश पारंपरिक उद्योगों को संगठित करने और कारीगरों को एक समूह में लाने से प्रतिस्पर्धी कर भावना उत्पन्न होती है और और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए समर्थन प्रदान की जाती है ताकि पारंपरिक उद्योग, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने द्वारा इस तरह के समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग में वृद्धि हो और नए उत्पादों, डिजाइन हस्तक्षेप और बेहतर पैकेजिंग और विपणन के बुनियादी ढांचे में सुधार हो ।परंपरागत कारीगरों को एक जुड़े समूह में लाकर प्रशिक्षण और एक्सपोजर के माध्यम से सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरण और उपकरणों

की सक्रिय भागीदारी के साथ समूह शासन प्रणाली को मजबूत बनाने के क्रम में कारीगरों के हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, ताकि वे उभरती चुनौतियों एवं अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बने और सुसंगत ढंग से उत्तर दे सके। समूह के लिए अनुदान 1.5 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये तक रहता है इस योजना के तहत अनुदान पैटर्न में कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन, विकास आदि छोटे मोटे हस्तक्षेप के लिए प्रावधान और सामान्य सुविधा केन्द्र, कच्चे माल के बैंक (RMB) प्रशिक्षण केन्द्रों आदि बड़े हस्तक्षेप एवं ब्रांड निर्माण और संवर्धन, समाचार मीडिया विपणन, ई-कॉमर्स, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास प्रयासों जैसे क्रॉस कटिंग थीमेटिक हस्तक्षेप के प्रावधान है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
10.00	0	50.00

खादी और पॉलिवस्त्र के लिए बाजार विकास सहायता योजना

एमडीए के तहत, उत्पादन प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता है। खादी संस्थाओं को खादी के उत्पादन मूल्य के रूप में 20% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और पॉलिवस्त्र के कारीगरों, संस्थाओं, उत्पादन और बिक्री के बीच 25:30:45 के अनुपात यानी साझा है। निर्माण संस्थाओं हर तीन महीनों में वास्तविक उत्पादन के आधार पर एमडीए का दावा तिमाही तौर पर प्रस्तुत करना करेगा। यदि कोई फर्क हो तो लेखा परीक्षा खातों के आधार पर वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में समायोजित किया जाएगा। एमडीए खास तौर पर तिमाही आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मंडल कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी। एमडीए ग्राहकों के लिए खादी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के अलावा, संस्थाओं को लचीलापन प्रदान करता है। दुकानों, उत्पादों और उत्पादन में सुधार के लिए सहायता का उपयोग करने के लिए प्रक्रियाओं, आदि पारिश्रमिक प्रदान करता है। केवल वैध खादी प्रमाण पत्र होने और ए+, ए, बी और सी के रूप में वर्गीकृत किये गए खादी विक्रेता ही केवीआईसी से एमडीए अनुदान लाभ उठाने सकते हैं। इस योजना के वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
201.83	196.94	178.00

खादी और पॉलीवस्त्र के लिए ब्याज अनुदान पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) :

आईएसईसी योजना खादी एवं ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) / राज्य खादी विकास बोर्ड (केवीआईबीएस) के अंतर्गत सभी पंजीकृत संस्थानों के लिए लागू है। अनुदान की मात्रा वित्तापूर्ति करने वाले संस्थान द्वारा लगाये गये ब्याज की वास्तविक दर के अंतर और कर्जदार द्वारा वहन किये जाने वाले 4 प्रतिशत के भार के अनुसार सीमित की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर केवीआईसी की ओर से लगायी गई ब्याज दर परिवर्तित की जाती है, तो अनुदान की मात्रा वित्तापूर्ति करने वाले संस्थान की ओर से लगायी गई ब्याज दर और बोर्ड द्वारा संशोधित ब्याज दर के बीच के अंतर के अनुसार सीमित की जाएगी। योजना का फाइनांशियल परफार्मेंस का विवरण नीचे दिया गया है।

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
40.63	38.32	40.07

कॉयर क्षेत्र के लिए योजनाएं

कॉयर विकास योजना

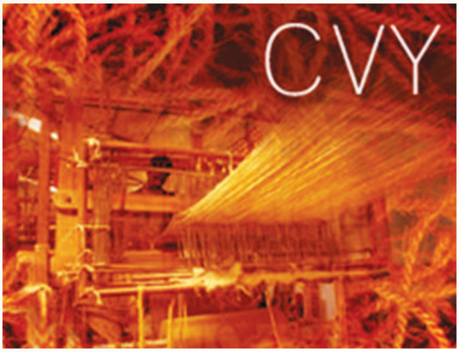

कॉयर बोर्ड विदेश में, निर्यात बाज़ार में कॉयर और कॉयर उत्पाद के समर्थन में आक्रामक उत्पाद विशिष्ट और बाजार विशिष्ट प्रचार के लिए निर्यात बाजार संवर्धन योजना लागू कर रहा है ताकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों / सेमिनार आदि के द्वारा भारतीय कॉयर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में सफलता मिले और उद्यमियों को निर्यात बाजार विकास सहायता योजना के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मदद मिले । अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने / उत्पाद को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए योग्य कॉयर निर्यातकों के लिए 2.00 लाख रुपए की प्रादेशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ऊपर प्रचार सामग्री के लिए उत्पादन लागत का 25% या रु .15000 / - की सहायता, जो भी काम है, दिया जाएगा । सभी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम निर्यातक, जिनके पिछले वर्ष में कॉयर और कॉयर उत्पादों के एफओबी कारोबार 2.00 करोड़ रुपये से भी कम कीमत हो तो वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कॉयर और कॉयर उत्पादों के साथ पंजीकरण कर सकते हैं, और वे यह मदद इस कार्य से किसी अन्य स्त्रोत से नहीं लिए होऔर नाही इस प्रदर्शनी में इसी कार्य के किये इसी जगह तीन बार से ज्यादा बार नहीं गए हैं ।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
29.30	29.28	26.37

जूट उद्यमी योजना

इस योजना का उद्देश कॉयर उत्पादन श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, अर्थात् स्पिनर्स और टिनी घरेलू क्षेत्र को फिर से जीवंत बनाना और तकनीकी तौर पर नवीनीकरण करना है। यह योजना कारीगरों को पुराने रेट्स / करघे को बदल कर स्पिनरों एवं छोटे घरेलू इकाइयों के लिए वर्कशेड उपलब्ध कराने की कोशिश में है, परिणामस्वरूप श्रमिकों की आय एवं उत्पादन आय में वृद्धि हो सके । 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के कोई भी भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। सीयूवाई योजना के तहत परियोजना की स्थापना के लिए सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी। इस योजना के तहत सहायता के लिए परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध है कॉयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉयर फाइबर / यार्न / आदि उत्पादों का उत्पादन। सहायता सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थानों, व्यक्तियों, कंपनियों, स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समिति, संयुक्त देयता समूह और चैरिटेबल ट्रस्ट को प्राप्त हो सकता है. । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिला, एनईआर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षाद्वीप के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
7.30	4.00	20.00

कॉयर एस एंड टी योजना (प्लान एस एंड टी)

कॉयर बोर्ड 2000 - 01 से, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए दो अनुसन्धान संस्थानों, सेंट्रल कॉयर रिसर्च इंस्टिट्यूट, कलावूर और कॉयर टैक्नोलॉजी संस्थान, बेंगलोर के ध्यमाम से कर रहा है। इन अनुसंधान के प्रयासों के साथ संस्थानों, बोर्ड, कई नए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित कर सकता है। प्रक्रियाओं, विविध उत्पादों, उपकरणों और मशीनरी में वृद्धि के लिए 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना' लागू कर रहा है।

इस योजना का वित्तीय परफार्मेंस नीचे दिया गया है :

रुपये करोड में

बजट 2014-15	व्यय 2014-15	बजट 2015-16
5.30	5.30	3.00

मंत्रालय की नवीनतम पहल

एस्पायर: ग्रामीण उद्यमिता और अभिनव योजना को बढ़ावा देने के लिए

मंत्रालय द्वारा 18-03-2015 को अभिनव, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता योजना शुरू की गई। इस योजना को प्रौद्योगिकी केन्द्रों एवं ऊष्मायन केन्द्रों के एक नेटवर्क द्वारा स्थापित किया गया था और कृषि उद्योग सम्बंधित अन्वेषण एवं उद्यम को स्थापित करने के लिए स्टार्ट अप एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित कर सके। योजना की शुरुआत वित्त मंत्री के 2014-15 के बजट भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया था; उन्होंने अन्वेषण, उद्यमिता और कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये की निधि के साथ प्रारम्भ करने की बात की थी. एस्पायर व्यापार उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यककौशल सेट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है और उद्यमों के लिए आवश्यक बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए उद्यमियों स्वावलंभी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि प्रदान करने की और आगे बढ़ रहा है. सबसे महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), केवीआईसी या कॉयर बोर्ड या भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी भी अन्य संस्था/एजेंसी या पीपीपी के तहत इन संस्थानों के साथ मोड। अगले महत्वपूर्ण घटक स्थापित करने के लिए है प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटरों (टीबीआई), यानी मौजूदा समर्थन कर विभिन्न मंत्रालयों के ऊष्मायन केन्द्रों के अंतर्गत वर्तमान में संचालित, राष्ट्रीय सहित भारत सरकार के विभागों या संस्थाओं/भारत सरकार/राज्य सरकारों के क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों में इस तरह के केन्द्र स्थापित करने के लिए आधारित कृषि के क्षेत्र में ऊष्मायन और उद्यम के निर्माण के लिए समर्पित इंडस्ट्रीज और भी नए ऊष्मायन केन्द्रों निजी पात्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले संस्थानों के शैक्षणिक के साथ-साथ, उद्योग संघों सहित संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थाओं और टेक्नोलॉजी पार्क्स। पिछले महत्वपूर्ण घटक के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए भारतीय स्टार्ट-अप है संवर्धन लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से हो रहा है। इक्विटी, अर्ध-इक्विटी, एंजल फंड की तरह वित्त के नए साधन का उपयोग करके (सिडबी)

निधि, आदि वेंचर कैपिटल फंड, प्रभाव फंड, चैलेंज धनराशि सक्षम करने के लिए रचनात्मकता विचार / नवीनता लेकर इनको एक वाणिज्यिक उद्यम में तय समय सीमा के भीतर कैसे कन्वर्ट करना, उसके विशिष्ट परिणामों के साथ सामने आते हैं।

एलबीआई के तहत एनएसआईसी और दूसरों के लिए वित्तीय सहायता रू 1 करोड़ तक है और पीपीपी इन्क्यूबेटरों के लिए 50 लाख रुपये। टीबीआई की स्थापना के लिए सहायता 30 लाख है और नये इन्क्यूबेटरों के लिए के 1 करोड़ रुपये है। अन्य वित्तीय समर्थन विचार इन्क्यूबेटरों द्वारा विचारों के स्टार्ट उप @ 3 लाख रुपये की ऊष्मायन की स्थापना के लिए रू 1 करोड़ की पूंजी, 500 नए ऊष्मायन केन्द्रों के लिए अगले साल तक पूरे भारत में स्थापित की जाएगी।

पारम्परिक इंडस्ट्रीज के उत्थान के लिए निधि के पुर्नोत्थान की योजना: स्फूर्ति

पारंपरिक और ग्रामोद्योग के आवंटन और उत्थान को हमने काफी बढ़ाया है और पुर्नोत्थान के लिए पारंपरिक उद्योगों (स्फूर्ति) को बेहतर और अधिक गहन कवरेज प्राप्त करने के लिए पेशेवर / विशेषज्ञ की राय ली है ।100 खादी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह की सीमा में, पहाड़ी और वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रु.76 करोड़ की लागत की स्वीकृत की गई है।

पीएमईजीपी के तहत नई पहल

प्रधान मंत्री रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के दायरे का विस्तार करने के लिए पीएमईजीपी नकारात्मक सूची के दिशा-निर्देशों की सूची को संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों को अनुमति दी गई है :

अ. पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण और हाथ कताई और हाथ बुनाई जैसे अन्य तरह के उत्पादों के उद्योग।

आ. सभी ग्रामीण और शहरी परिवहन गतिविधियाँ

इ. चाय, कॉफी, रबर आदि के मूल्यवर्धित उत्पाद, रेशम कीट पालन, बागवानी फ्लोरीकल्चर के उत्पाद ।

प्रत्येक राज्य में संबंधित एजेंसियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक नोडल शाखा की अवधारणा का कार्यान्वयन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकों की सभी नोडल शाखाओं को पीएमईजी कार्यक्रम के तहत योजना निगरानी प्रणाली की केंद्रीय योजना के अंतर्गत एक दूसरे से ज़ोड दिया गया हैं। नोडल शाखाओं से डेटा बेस को सीधे तौर पर नियमित रूप से आद्यतन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री रोज़गार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और साथ ही कार्यक्रम के लाभार्थियों का डाटा बेस तैयार करने के लिए, पीएमईजीपी के आवेदनों की ई-ट्रैकिंग शुरू की गई है। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के साथ ही बेहतर प्रशासन और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार की जाँच करने के क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों की ऑन लाइन ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है, जो आवेदन दाखिल करने से लेकर चयन, मंजूरी, निपटारे, इकाई की स्थापना तथा उसकी भौतिक जाँच तक चलती है। इससे आवेदकों को ऑनलाइन पर अपने मामलों की स्थिति देखना संभव हो जाएगा।

पीएमईजीपी और आरईजीपी इकाइयों को **उद्यमी का ज्ञापन** (ईएम-1) ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है , जिससे उद्यमिता ज्ञापन (ईएम-1) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से लाभ उठा सके।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए आरईएसटीआई से समझौता : खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पीएमईजीपी के तहत आरएसईटीआई/ आरयूडीएसईटीआई की 578 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आरएसईटीआई के राष्ट्रीय संघ (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के साथ 20 फ़रवरी 2015 पर एक समझौता किया है।

पुनरुत्थानित कॉयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) और कॉयर विकास योजना (सीवीवाई)

कॉयर बोर्ड की ओर से "कायाकल्प, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन " (रिमोट) और "कॉयर योजना" का नाम परिवर्तित कर जूट उद्यमी योजना (सीयूवाई) और कॉयर विकास योजना (सीवीवाई) के रूप में दो केन्द्रीय योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य हितधारकों को इन्हें समझना आसान बनाना है । सीयूवाई कॉयर क्षेत्र में एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसका मक्सद कॉयर इकाइयों को एकीकृत और विकसित करना

है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओऱ से 40% सब्सिडी 55 प्रतिशत बैंक ऋण और 5% लाभार्थी अंशदान के रूप में एकत्रित कर कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये (5.00 लाख से संशोधित) तक की परियोजना की स्थापना की जा सकती है। कॉयर विकास योजना (सीवीवाई) के अंतर्गत कॉइर इकाइयों के विस्तार के लिए पुरुषों और महिलाओं को सहायता उपलब्ध करने के अलावा महिला कामगारों के लिए रियायती मूल्य पर सुविधाएँ मुहैया की जाती है। सीवीवाई योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी/मेलों के लिए भी सहायता भी प्रदान की जाती है। कॉयर बोर्ड नवंबर 2015 में आईटीपीओ प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक भी जीत चुका है।

तकनीकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम

तकनीकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत 15 नए तकनीकी केन्द्रों (टूल रूम) की स्थपाना की जाएगी और मौजूदा टूल रूमों का विश्व बैंक के सहयोग के साथ उन्नतीकरण किया जाएगा। विस्तारित और बनाये जाने वाले नेटवर्क का उपयोग (अ) सूलम उद्यमों के क्लस्टर नेटवर्क प्रबंधकों की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए (आ) प्रौद्योगिकी भागीदारों द्वारा आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा)

सूलम उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक जीवंत और इंटरैक्टिव मंच बनाने के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और (ग) राष्ट्रीय पोर्टल के सभी प्रमुख हितधारकों के बीच संबंधों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच ऋण करार 10/11/2014 पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जो 19/12/2014 से प्रभाव में आया है। स्थानो की पहचान 9 राज्यों में और कुल 150 एकड़ जमीन पर की गई है, जिनमें से कुल 9 जगहों पर कब्ज़ा कर लिया गया है।

सूलम उद्यमों की परिभाषा में परिवर्तन

लोकसभा के आयोजित सत्र में कैबिनेट ने 25/03/2015 को आयोजित बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में संशोधन करने के बारे में इस मंत्रालय के प्रस्ताव को

अनुमोदित किया है, नाम है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक2015। इसके तहत उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। इन प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य 1) संयंत्र में निवेश की जानेवाली निधि के साथ ही मशीनरी को बदलने पर आने वाले खर्च की सीमा बढ़ाना 2) ऐसे वर्गीकरण को शामिल करना, जिसमें सूक्ष्म अथवा अति लघु उद्यमों या फिर ग्रामोद्योगों की श्रृंखला को मध्यम उद्यमों के एक हिस्से के रूप में और उन्हों उपरोक्त श्रेणी के लाभ प्रदान किये जा सकें ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा को और अधिक बढ़ावा मिल सके। (3) केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए इतनी के रूप में मध्यम उद्यमों के हिस्से के रूप में सूक्ष्म या छोटे उद्यमों या ग्रमोद्योगों, मुद्रास्फीति और गतिशील बाज़ार की स्थिति पर विचार, अधिसूचना द्वारा निवेश के लिए मौजूदा सीमा को संशोधित करने के लिए। कदम संसद में विधेयक को पेश करने के लिए लिया गया है।

उद्यमिता ज्ञापन दाखिल करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मंत्रालय (एनआईसी), उद्यमिता ज्ञापन (ईएम) ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल को http://em.msme.gov.in/ पर देखा जा सकता है। उद्देश्य उद्यमिता ज्ञापन 1 और 2 दाखिल करने की प्रक्रिया को किसी भी समय कहीं भी पंजीकरण के माध्यम से आवेदक के लिए आसान रूप में उपलब्ध की गई है। ऑनलाइन प्रणाली उद्यमिता ज्ञापन पंजीकरण की उच्च दर को प्रोत्साहित करने और सक्षम होगा साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना संभव होगा। इसके अलावा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने में भी सक्षम होंगे। यह पोर्टल प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। ट्रैकिंग के रूप में सरकार को भी एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण हाथ लगा है। वर्तमान में, इस पोर्टल 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसके माध्यम से 36,765 उद्यमिता ज्ञापन 1 से अधिक और 8244 उद्यमिता ज्ञापन 2 के आवेदन ऑनलाइन दायर किये गये हैं।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पोर्टल को स्वीकार करने को सुविधाजन बनाने के लिए इस मंत्रालय की ओऱ से लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन कर उद्योग निदेशालयों और ज़िला उद्योग केंद्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराने का भी कार्य किया जा रहा है।

सूलमउ मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा कॉयर बोर्ड में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ)

CERTIFICATE TÜV NORD

Management system as per
ISO 9001 : 2008

MINISTRY OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Udyog Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi - 110 011,
India

To Formulate and Implement Policies and Programmes for the Promotion of Entrepreneurship and Growth & Development of Micro, Small & Medium Enterprises, including Coir, Khadi & Village Industries

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को आईएसओ 9001:2008 से सम्मानित किया गया है, जो मंत्रालय की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और विकास को बढ़ावा देने के मिशन का प्रदर्शन करता है। यह गर्व की बात है कि यह भारत सरकार का ऐसा पहला मंत्रालय है, जिसने अपनी क्षमता के बल पर यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आईएसओ के मानकों का कार्यान्वयन मंत्रालय को सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही इसके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भा लायी जा सकेगी। इसी तरह मंत्रालय के संगठनों में से केवीआईसी और कॉयर बोर्ड ने भी आईएसओ प्रमाणन हासिल किया है।

जिला उद्योगों के प्रोफाइल

अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय (एमएसएमई डीआईएस), संबंधित जिलों में संसाधनों के ब्यौरे के साथ ही औद्योगिक सेट अप का प्रोफाइल एकत्रित कर रहा है। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले के संक्षिप्त औद्योगिक प्रोफ़ाइल संकलित किये जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ोंके अनुसार है अब तक 626 जिला उद्योगों के प्रोफाइल संकलित किये गये है और विकास आयुक्त (www.dcmsme.gov.in) के कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ये जिला औद्योगिक प्रोफाइल भी प्रत्येक जिले में औद्योगिक समूहों औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित क्षेत्रों का संकेत है। प्रयास जिला औद्योगिक प्रोफाइल अपडेट करने के लिए किए जा रहे हैं।

कौशल मानचित्रण

जिला औद्योगिक प्रोफाइल के आधार पर अब तक 658 जिलों की जानकारी संकलित की गई है, जिसमें खास तौर पर जिले के लिहाज से कौशल विकास की जरूरत की जानकारी शामिल है। जिलों के लिहाज से कौशल विकास की जरूरतों में स्थित उद्योग समूहों के आधार पर किया गया है।

इसके अलावा, उद्योग समूहों को उत्पादों का उत्पादन करने और कौशल के प्रकार के आधार पर प्रशिक्षण की प्रबंधन किया जा रहा है। प्रत्येक जिले पर कौशल मानचित्रण के लिए 29 कॉलम रूपों उद्योग समूहों में हर संभव जानकारी एकत्रित करने के लिए विकसित किया गया है।

तकनीकी संस्थानों के नाम सहित (आईटीआई, पॉलिटेक्निक, और सुविधाओं के साथ इंजीनियरिंग कालेजों) को विकसित किया गया है। इस बारे में मसौदा कौशल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और उद्योग संघों के साथ साझा किया गया है।

डिजिटल पहल

एमएसएमई मंत्रालय में ई-ऑफिस

ई- ऑफिस की पहल कागज़ रहित कार्यालय की संकल्पना को साकार करने के साथ ही गति गति और मापनीयता के मामले में विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई है। अप्रैल- 2014 में शुरू किये गये इस कार्यक्रम के अंतर्गत 21000 से अधिक फाइलों पर वैज्ञानिक निराई प्रक्रिया की गई है, जबकि 7599 फाइलों को स्कैन कर और अपलोड किया जा रहा है। कॉयर, लघु एवं मध्यम उद्यम, कौशल विकास संस्थानों, उद्योग आयुक्त जैसे कई वर्गों को पहले ही लगभग 95 प्रतिशत तक डिजीटल बना दिया गया है। इस तरह व्यवस्थित बनाने के हमारे अनुभव की डीएआरपीजी द्वारा "सराहना" भी की गई है और इसके बारे में जानकारी सभी के लिए परिचालित भी की गई है।

आधार के आधार उपस्थिति

आधार आधारित बायो-मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के लिए 20 अगस्त से शुरू की गई है। इसके परिणास्वरूप कर्मचारियों की उपस्थिति के समय की पाबंदी सफल रूप से अमल में आने के साथ ही मैनुअल प्रणाली खत्म हो गई है।

सामाजिक मीडिया

प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, मंत्रालय ने फेसबुक और ट्विटर पर इंटरैक्टिव इंटरफेस शुरू किया गया है। मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों के अलावा इन सामाजिक मीडिया चैनलों के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया काफी प्रोत्साहनात्मक रही। इसके तहत फैसबुक के माध्यम से 13,959 और ट्विटर से 10,652 के साथ कुल 24,611 से भी अधिक लोग आकर्षित हुए हैं । मंत्रालय ने एक उद्यमी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर: 1-800-180-6763 भी शुरू किया है।

मोबाइल के अनुकूल वेबसाइट

मंत्रालय की वेबसाइट मोबाइल के अनुकूल बनायी गयी है। इससे उद्यमियों के अनुकूल सामग्री को आसानी से किसी भी मोबाइल और टेबलेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। http://msme.gov.in/mob/home.as px

सूलम उद्यमों की नौकरी के लिए वेब पोर्टल

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान (निस्बड) द्वारा रोज़गार के बारे में सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से रोज़गार सुविधा पोर्टल www.msmenaukri.com शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन 11 जुलाई 2014 को सू.ल.म. उद्यम मंत्री द्वारा किया गया। यह नौकरी के इच्छुकों के लिए अपनी पसंद के अनुसार रोज़गार का अवसर खोजने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इस पोर्टल पर अब तक 21,116 युवाओं से नौकरी की माँग प्राप्त हुई है और 511 नियोक्ताओं ने अपने आपको इस पर पंजीकृत किया है। इसे खोज प्राणाली में सू.ल.म. उद्यमों के डेटा बेस के साथ राष्ट्रीय कैरियर केंद्र की पहल से जोड़ा जा रहा है।

सू.ल.म.उ. खरीदारी के लिए वेब पोर्टल

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का बी2सी वेब पोर्टल http://www.msmeshopping.com/was, 31 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। इस पर 110 श्रेणियों में 2986 उत्पादों के लिए 442 आपूर्तिकर्ता आकर्षित हुए हैं और इस पर 143,327 लोगों ने हिट किया है जबकि इस पोर्टल के माध्यम से 61.18 लाख रुपए से भी अधिक की बिक्री हुई है।

संपर्क का विवरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

अ. क्र.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	टेलीफोन	फैक्स
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, 7 वीं मंजिल, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), "ग्रामोदय" 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056 (महाराष्ट्र)	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
	कॉयर बोर्ड, "कॉयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि - 682016, केरल	www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in	coir@md2.vsnl.net.in, coirboard@vsnl.com	0484-2351807, 2351788, 2351954, 2354397	0484-2370034
	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली - 110 020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in, pro@nsic.co.in	011-26926275 26910910 26926370 टोल फ्री 1-800-111955	011-26932075 26311109
	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), ए-23-24, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, द्वितीय चरण नोएडा 201 301 (उत्तर प्रदेश)	www.niesbud.nic.in	info.niesbud@nic.in, rrsingh04@yahoo.com,	0120-2403051-54	0120-2403057 2403062

अ. क्र.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	टेलीफोन	फैक्स
	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), यूसुफगुड़ा, हैदराबाद-500045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608317	040-23608547 23608956 23541260
	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), 37,राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास, लालमाटी, बशिष्ठ चारीअली, गुवाहाटी-781029 असम	www.iie.nic.in	iieindia1@sancharnet.in, iieindia1@bsnl.in	0361-2302646 2300994 2300123 2300840	0361-2300325
	महात्मा गांधी ग्रामीण के लिए संस्थान औद्योगीकरण, मगनवाड़ी वर्धा-442,001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

सत्यमेव जयते

उद्यमी हेल्प लाइन

1800 - 180 - 6763
1800 - 180 - सूलमउ [टोल फ्री]

जानकारी इस बारे में

- विपणन सहायता
- साख समर्थन
- क्लस्टर विकास
- प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण
- नैपुण्य विकास
- उद्यम स्थापना
- सूलमउ मंत्रालय की योजनाएँ

उद्यमी हेल्पलाइन वर्तमान के साथ ही संभावित उद्यमियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों तथा सुविधाओं के बारे में सहायता और मार्गर्शन उपलब्ध करने के लिए है।

उद्यमी हेल्पलाइन 1800-180-6763 (टोल फ्री)

समय : सायं 6.00 से 10.00 बजे तक हिन्दी / अंग्रेज़ी में

हम सभी उद्यमियों का इस सुविधा के उपयोग के लिए स्वागत करते हैं

MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

www.msme.gov.in www.dcmsme.gov.in

भारत सरकार

ए- ए ए+

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय

(एक आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित संगठन)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

योजना से जुड़े हुए एक क्रेडिट माइक्रो सेक्टर के लिए उच्च ऋण प्रवाह के लिए वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी की सुविधा के लिए। अपने उद्देश्यों को शुरू अप के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत और स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं।

और पढ़े ..

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम

आदि दुबला विनिर्माण, डिजाइन क्लिनिक, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की तरह 10 हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास उन्मुख उद्यम को बढ़ावा देने के लिए

और पढ़े ..

ASPIRE

ग्रामीण आजीविका इनक्यूबेटर, प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर और फंड ऑफ फंड्स प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क अभिनव, उद्यमिता और कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित करने के लिए के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, में 200 करोड़ रुपये का कोष के साथ एक कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव है। "

और पढ़े ..

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की स्कीम (SFURTI)

समूहों में पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के आयोजन से परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं।

और पढ़े ..

प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम

मूल्यांकन के उद्यमों के लिए ऋण के लिए आसान / सस्ता पहुँच के लिए एमएसई की एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए। एमएसई के लिए किया दर्जा उद्यम की ताकत और संचालन की कमजोरियों और साख के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है।

और पढ़े ..

प्रशिक्षण संस्थान के लिए सहायता

उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए बुनियादी ढांचे और कार्यक्रम के समर्थन के निर्माण / सुदृढ़ीकरण के लिए पूंजी अनुदान के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए

और पढ़े ..

विपणन सहायता

/ व्यवस्थित करने के लिए घरेलू और वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए लघु उद्योगों की सहायता करने के लिए। , क्रेता-विक्रेता बैठक गहन अभियान और विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन भी शामिल किए गए हैं

और पढ़े ..

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS)

उनकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम करने के

और पढ़े ..